



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

करन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी सब्जी मंडी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है०का० 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 35 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 35 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित उर्फ वीसीआर उर्फ बिसयार पुत्र हरिशचन्द्र निवासी गांव काठा थाना बागपत जिला बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 35 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राममूर्ती शर्मा कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 491 रामकुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 25 राजीव कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतावली बागपत

दिनांक 25.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल विडियो में अवैध गांजा बेच रही एक अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक महिला की अवैध गांजा बेचते हुए एक विडियो वायरल हुई थी । जिसका थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अवैध गांजा बेच रही अभियुक्ता को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल विडियो में अवैध गांजा बेच रही एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



2-उ0 नि0 श्रीमति सरिता कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-है0का0 508 मंजीत कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-का0 179 सचिन कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 25.03.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

विनित पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उपनिरीक्षक श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली ।

2-का0 880 गीतम थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 25.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 03 मोटोसाइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.03.2023 को थाना खेकडा पर वादी मुकेश पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि कस्बा खेकडा में स्थित टेलिफोन एक्सचेंज के पास से किसी अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटर साइकिल नं० DL-5SCM-0736 को चोरी



कर लिया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 100/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से चोरी की हुई 03 मोटर साइकिल बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अंकुर पुत्र पप्पू निवासी मौ० विजय नगर थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-धीरज पुत्र उदयवीर निवासी मौ० प्रेमनगर निकट गौसिया मस्जिद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 3-अंकित पुत्र ओम सिंह निवासी मौ० इन्द्रापुरी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 4-नरेन्द्र पुत्र विशम्बर निवासी पट्टी अहिरान भूमिया के पास थाना खेकडा जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वह सब मिलकर गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर व जनपद बागपत क्षेत्र से मोटरसाईकिल चोरी करते हैं तथा चोरी की हुई मोटरसाईकिल को सस्ते दामों में बेच देते हैं ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई मो०सा० हीरो स्प्लेन्डर नं० DL5SCM0736 (संबन्धित मु०अ०सं० 100/23 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत)
- चोरी की हुई मो०सा० हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं० HR 29 AM 4283 ।
- चोरी की हुई मो०सा० सीबी ट्विस्टर नं० UP-14BE-1791 (बिना कागज) ।

गिरफ्तार अभियुक्त नरेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं० 272/10 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-मु०अ०सं० 276/21 धारा 379/411 भादवि थाना नोलिज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- 3-मु०अ०सं० 266/21 धारा 379 भादवि थाना नोलिज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 4-मु०अ०सं० 241/18 धारा 411/414 भादवि थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 5-मु०अ०सं० 496/21 धारा 380 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- 6-मु०अ०सं० 841/21 धारा 457/380 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 7-मु०अ०सं० 275/21 धारा 307/411 भादवि थाना नोलिज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- 8-मु०अ०सं० 280/21 धारा 4/25 ए एक्ट थाना नोलिज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 9-मु०अ०सं० 236/21 धारा 379 भादवि थाना नोलिज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 10-मु०अ०सं० 268/21 धारा 380/411 भादवि थाना नोलिज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- 11-मु०अ०सं० 100/23 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 12-मु०अ०सं० 101/23 धारा 411/414/420/467/468/471 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त धीरज का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 23/21 धारा 411/414/420/467/468/471 भादवि थाना छपरौली बागपत

2-मु0अ0सं0 100/23 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा बागपत

3-मु0अ0सं0 101/23 धारा 411/414/420/467/468/471 भादवि थाना खेकडा बागपत

गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 100/23 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा बागपत

2-मु0अ0सं0 101/23 धारा 411/414/420/467/468/471 भादवि थाना खेकडा बागपत

अभियुक्त अंकित पुत्र ओम सिंह उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास-

1-मुं0अ0सं0 100/23 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 101/23 धारा 411/414/420/467/468/471 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 मौ0 आसिफ थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2. है0का0 292 सिराजखान थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3.का0 447 पंकज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4.का0 335 राकेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

5.का0 301 मुलायम सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।

6.का0 373 बब्लू चौधरी थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 25.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 22 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 22 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जून पुत्र रामशरण निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 22 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 292/16 धारा 323/324/504 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 74/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सुखराम सिंह थाना रमाला ।
- 2- का0 11 ब्रजेश कुमार थाना रमाला ।
- 3- है0का0 263 आरिफ अली थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 25.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 79/23 धारा 323/506/376
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 79/23 धारा 323/506/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुहेब पुत्र कल्लू निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री बीरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-है0का0 439 कुलदीप कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।